



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032022-234459
CG-DL-E-25032022-234459

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1286]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944

No. 1286]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

का. आ. 1328(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना- अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि.मी. 432.3 से कि.मी. 475.7 (कठुआ) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त कठुआ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के कठुआ जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना- अमृतसर- कटरा एक्सप्रेसवे कि.मी. 432.3 से कि.मी.475.7 (कठुआ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: कठुआ		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हीरानगर					
गांव का नाम: कूटाह					
1	164	सरकारी	गैर कृषि	0.0329000(हेक्टेयर)	0.0329000
2	165	सरकारी	गैर कृषि	0.0303000(हेक्टेयर)	0.0303000
3	292	निजी(कस्टूडियन)	कृषि	0.1214000(हेक्टेयर)	0.1214000
4	293	निजी	कृषि	0.0481000(हेक्टेयर)	0.0481000
तालुक का नाम: कठुआ					
गांव का नाम: तरहराह					
1	119	निजी	गैर कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
2	120	निजी	कृषि	0.3262000(हेक्टेयर)	0.3262000
3	123	निजी	गैर कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
4	125	निजी	कृषि	0.3920000(हेक्टेयर)	0.3920000
5	126	निजी	गैर कृषि	0.0506000(हेक्टेयर)	0.0506000
6	128	अन्य(सरकारी/निजी)	कृषि/गैर कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
7	135	निजी	गैर कृषि	0.0202000(हेक्टेयर)	0.0202000
8	140	अन्य(सरकारी/निजी)	कृषि	0.3035000(हेक्टेयर)	0.3035000
9	226	निजी	कृषि	0.3667000(हेक्टेयर)	0.3667000
10	42	अन्य(सरकारी/निजी)	कृषि/गैर कृषि	0.0253000(हेक्टेयर)	0.0253000
11	43	निजी	कृषि	0.2478000(हेक्टेयर)	0.2478000
12	76	सरकारी	कृषि	0.1012000(हेक्टेयर)	0.1012000

13	77	निजी	कृषि	0.0759000(हेक्टेयर)	0.0759000
14	78	निजी	गैर कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
15	93	निजी	गैर कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
कुल				2.2938	2.2938

[फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New delhi, the 24th March, 2022

S.O. 1328(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Kathua in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling on NH-NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 432.3 to Km. 475.7 (Kathua) in the district of KATHUA in the U.T of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: KATHUA		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Hiranagar					
Village: Kootah					
1	164	Government	Non Agriculture	0.0329000(Hectare)	0.0329000
2	165	Government	Non Agriculture	0.0303000(Hectare)	0.0303000
3	292	Private(Costudian)	Agriculture	0.1214000(Hectare)	0.1214000

4	293	Private	Agriculture	0.0481000(Hectare)	0.0481000
Taluk: Kathua					
Village: Tarharah					
1	119	Private	Non Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
2	120	Private	Agriculture	0.3262000(Hectare)	0.3262000
3	123	Private	Non Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
4	125	Private	Agriculture	0.3920000(Hectare)	0.3920000
5	126	Private	Non Agriculture	0.0506000(Hectare)	0.0506000
6	128	Common(Government/ Private)	Agiculture/Non Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
7	135	Private	Non Agriculture	0.0202000(Hectare)	0.0202000
8	140	Common(Government/ Private)	Agriculture	0.3035000(Hectare)	0.3035000
9	226	Private	Agriculture	0.3667000(Hectare)	0.3667000
10	42	Common(Government/ Private)	Agiculture/Non Agriculture	0.0253000(Hectare)	0.0253000
11	43	Private	Agriculture	0.2478000(Hectare)	0.2478000
12	76	Government	Agriculture	0.1012000(Hectare)	0.1012000
13	77	Private	Agriculture	0.0759000(Hectare)	0.0759000
14	78	Private	Non Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
15	93	Private	Non Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
Total				2.2938	2.2938

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A]

RAJESH GUPTA, Director